M/s. Carews Pharmaceuticals have not furnished the complete details asked for by the Government to calculate the amount of unintended benefit. The Government has already decided to give them a final hearing before launching prosecution against them.

Capacity utilisation by IDPL and HAL

1413. SHRI ASHOK NATH VERMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) what are the items in the production range of IDPL and HAL where the capacity utilisation is less than 10 per cent or which are not being produced at all;

(b) what was the production of such items during the last three years, year-wise and what is the capital invested in each;

(c) whether it is a fact that IDPL has no plan to produce these items;

(d) if so, what steps are being taken to dispose of the assets; and

(e) what are the names of drugs for which money was given by his ministry to IDPL during 1987-88 and to what extent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI BHAJAMAN BEHERA): (a) to (e) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House.

ए० आई० डी० एस० (एड्स) के इलाज की सुविधायें

1414. **श्रीमती सत्या बहिन :**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नगर-वार एड्स ग्रस्त रोगियों की कुल संख्या कितनी है और उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था उपलब्ध है ;

(ख) ऐसे अस्पतालों के नामों सहित संख्या कितनी है, जिनमें एड्स वार्ड खोले जाने का विचार है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या एड्स ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिए कुछ डाक्टरों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में इस रोग को न फैलने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद)) : (क) और (ख) विभिन्न शहरों में (30-6-1990 तक) सूचित किये गए एड्स रोगियों (पूर्णरूप से विकसित रोगी) की संख्या नीचे दी गई है :—

शहर	रोगियों की संख्या
हैदराबाद	1
चण्डीगढ़	7
दिल्ली	3
अहमदाबाद	1
श्रीनगर	1
त्रिवेन्द्रम	1
बम्बई	10
पांडिचेरी	3
मद्रास	7
लखनऊ	1
कलकत्ता	1
योग (कुल शहर)	36

एड्स रोगियों तथा एच०आई वी० संक्रमित रोगियों की देखभाल करने के लिए तेरह संस्थाओं को निश्चित और सुदृढ़ किया गया है।

इन संस्थाओं के नाम हैं :--

1. के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
3. एस०एम०एस० मेडिकल कालेज, जयपुर।
4. शेरे-कश्मीर, आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर।
5. त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम।
6. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद।
7. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
8. एस०सी०बी० मेडिकल कालेज, कटक।
9. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।
10. जे०जे० मेडिकल कालेज, बम्बई।
11. जे०एन० अस्पताल, इम्फाल, मणिपुर।
12. मेडिकल कालेज, बंगलौर।
13. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा।

केवल एड्स रोग के पूर्ण रूप से विकसित रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। एच० आई०वी० से संक्रमित सभी रोगियों को अंतरंग उपचार की जरूरत नहीं होती। जो भिन्न-भिन्न तरह की शिकायतें लेकर बहिरंग रोगी विभाग में आने वाले रोगियों को लाक्षणिक उपचार प्रदान किया जा रहा है।

उपर्युक्त तेरह संस्थाओं की एड्स यूनिट के लिए सामग्री और उपकरण खरीदने हेतु धन पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ग) एड्स रोगियों की देखभाल से संबंधित संकाय, रेजीडेंटों, नर्सों प्रयोगशाला कर्मचारियों को कारगर शिक्षा देने के लिए शिक्षण कार्यक्रम देश के इन सभी तेरह मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में तेजी से शुरू किए जा चुके हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य और एक वरिष्ठ नर्स को एड्स रोगियों की देखभाल में प्रशिक्षित करने और अपने लिए यह जानकारी हासिल करने के लिए कि विदेश में उन्नत केन्द्रों मे किस प्रकार विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई गई हैं, विदेश भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात इन कर्मचारियों ने प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिसके अधीन संकाय सदस्यों, वरिष्ठ रेजिडेन्टों तथा नर्सों को बड़ी संख्या में एड्स रोगियों की देखभाल करने संबंधी सारी प्रक्रियाओं और तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए मध्यावधि योजना तैयार की गई है। इस मध्यावधि योजना में देश के निर्धारित मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में एड्स संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है। इन सुविधाओं के विस्तार में निम्नलिखित शामिल हैं :--

–एच०आई०वी० संक्रमण वाले रोगियों को क्लीनिकल परिचर्या प्रदान करना।

– रोगियों तथा उनके पति/पत्नियों/संबंधियों को सलाह देना।

– बहिरंग रोगियों को निरन्तर चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना।

– क्लीनिकल प्रोफाइल, एमूनोलाजीकल प्रोफाइल, अवसरवादी संक्रमण तथा एच० आई० वी० संक्रमण के अन्य प्रमाणों संबंधी आंकड़े एकत्र करना।

– एच०आई०वी० रोगियों की देखभाल में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करना।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की उड़ानें पुनः आरंभ करना

1415. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वेस्टलैंड हैलीकाप्टरों की उड़ानों को पुनः आरंभ करने का